UPKS040021752010

न्यायालय सिविल जज (क०श्रे०)/ त्वरित न्यायालय द्वितीय / जे.एम. कौशाम्बी।
उपस्थित:– शिवेन्द्र शर्मा (उ०प्र० न्यायिक सेवा)
मुकदमा संख्या–4241/2010

राज्य **... ... ...अभियोजन**

बनाम

अनिल कुमार आदि **... ... ...अभियुक्तगण**

मु०अ०सं०–136/1999
धारा–323, 504, 506 भा०द०सं०
थाना– सरांय अकिल
जनपद–कौशाम्बी।

1. थाना संराय अकिल की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण अनिल कुमार सिंह, बड़कू सिंह, संजय सिंह के विरुद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 भा०दं०सं० विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि वादी रामबाबू पुत्र लक्ष्मीनारायण केशरवानी, ग्राम नेवादा, थाना सराय अकिल, जिला कौशाम्बी के द्वारा तहरीर देकर कथन किया गया है कि दिनांक 29.10. 1999 को मैं अपने घर पर बैठा था कि समय लगभग डेढ बजे शाम डाक्टर अनिल पुत्र चन्द्रभान सिंह बडकू सिंह व संजय सिंह पुत्रगण लल्लन सिंह मेरे घर पर आये और मुझसे कहे कि तुमने अपनी गाड़ी से ऐक्सीडेन्ट कर दिया है। जब मैंने कहा कि मैने ऐक्सीडेन्ट नहीं किया है। इतने पर गाली देते हुये उपरोक्त तीनों लोग मुझे लात घूसों से मारने लगे मैने शोर किया, शोर सुनकर मेरी पत्नी आयी तो उपरोक्त तीनों लोगों ने उसे भी मारा पीटा तथा जान से मारने की धमकी दिया।

3. न्यायालय में आरोप पत्र प्राप्त होने पर अभियुक्तगण अनिल कुमार सिंह, बड़कू सिंह, संजय सिंह को विचारण हेतु न्यायालय द्वारा जरिये समन तलब किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये। तथा उन्होंने अपनी–अपनी जमानते कराई। **अभियुक्त डॉ० अनिल कुमार सिंह के विरूद्ध प्रस्तुत मामले में वाद उपशमित किया जा चुका है।**

4. अभियुक्तगण बडकू सिंह, संजय सिंह के विरूद्ध तत्कालीन न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना से इंकार किया और विचारण की माँग की।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0 डब्लू0 – 1 रामबाबू केशरवानी व पी.डब्लू–2 माया देवी को परीक्षित कराया। अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन प्रपत्र की

औपचारिक सत्यता धारा–294 द०प्र०स० के अन्तर्गत स्वीकार की गयी। अभियोजन पक्ष द्वारा कोई अन्य साक्ष्य पेश नहीं किया। अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०स० अंकित किया अभियुक्तगण ने घटना को असत्य बताया तथा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया।

6. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सविस्तार सुनी गयी तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

7. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्लू–1 रामबाबू केशरवानी ने मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि दिनांक 29.10.1999 को बडकू सिंह व संजय सिंह मेरे घर पर आये और किसी बात के मेरी पत्नी बीच–बचाव करने आयी, तो वे लोग मेरी पत्नी माया देवी को भी मारे पीटे गाली–गुप्ता देते हुये जान माल की धमकी देते हुये चले गये। घटना के सम्बन्ध में मैने लिखित तहरीर दिया था, को पत्रावली में संलग्न है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। दरोगा जी ने मुझसे पूछताछ किया था।

8. बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने बताया है कि बड़कू सिंह व संजय सिंह के साथ मेरी किसी बात को लेकर कुछ मामूली कहासुनी हो गयी थी। ये लोग किसी एक्सीडेन्ट नहीं किया था। किसी बात को लेकर हमलोगों के बीच कहासुनी हो रही थी। कहासुनी के दौरान शोर गुल सुनकर आसपास के काफी लोग इक्ट्ठा हो गये थे। बड़कू सिंह व संजय सिंह ने मुझे मारपीटा नहीं था, न ही गाली–गुप्ता दिये थे, न ही जान से मारने की धमकी दिये थे। आगे बयान दिया है कि गवाह को धारा–161 का बयान पढ़कर सुनाया गया, जिसे गवाह ने इंकार किया। और कहा कि मुझे बड़कू सिंह व संजय सिंह ने मारापीटा नहीं था. न ही गाली गुप्ता दिये थे, न ही जान से मारने की धमकी दिये थे।

9. साक्षी पी.डब्लू. –2 माया देवी ने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन न करते हुये प्रतिपरीक्षा में बताया है कि गवाह को धारा–161 का बयान पढ़कर सुनाया गया, जिसे गवाह ने इंकार किया और कहा कि मैंने पुलिस वालों को ऐसा बयान नहीं दिया था। घटना जब की बताई जा रही है, मैं घर पर नहीं थी। बडकू सिंह व संजय सिंह में मेरे सामने मेरे पति रामबाबू केशरवानी को मारे पीछे नहीं थे, न ही गाली गुप्ता दिये थे, न ही जान से मारने की धमकी दिये थे। यह कहना गलत है कि मै मुल्जिमानों से मिल जाने के कारण आज मे झूठी गवाही दे रही हूँ। यह कहना सही है कि दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता हो। गया है।

10. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पीडब्लूर–1 रामबाबू केशरवानी व पी.डब्लू. –2 माया देवी ने न्यायालय में उपस्थित होकर विरोधाभाषी साक्ष्य दिया है, जिससे अभियोजन कथानक को समर्थन नहीं मिलता है तथा अभियोजन पक्ष की ओर से अन्य किसी ठोस साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है जिससे अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजन का मामला संदेह से परे साबित नहीं होता है। अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

11. अतः यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्तगण बड़कू सिंह, संजय सिंह के विरूद्ध वादी मुकदमा से मार–पीट, गाली–गलुज व जान से मारने की धमकी के आक्षेप को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है।

12. उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण बड़कू सिंह, संजय सिंह को अधिरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा०द०सं० से दोषमुक्त किया जाना समीचीन है।

:–आदेश–:

अभियुक्तगण बड़कू सिंह, संजय सिंह को भारतीय दंड सहिता की धारा–323, 504, 506 के अर्न्तगत दंडनीय अपराध के आरोप युक्ति युक्त संदेह के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके व्यक्तिगत बंधपत्र और जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभू को उनके उत्तरदायित्व से उन्मोचित किया जाता है ।

अभियुक्त द्वारा दं०प्र०सं० की धारा 437ए के अनुपालन में व्यक्तिगत बंधपत्र व समतुल्य राशि के दो प्रतिभू इस आशय से दाखिल कि गयी है कि यदि प्रस्तुत मामले में निर्णय के विरुद्ध अपील दाखिल की जाती है तो यह माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा तिथि व स्थान पर उपस्थित होगा। अपील न होने की दिशा में उक्त बंधपत्र एवं प्रतिभू छः माह का अवसान होने पर स्वतः उन्मोचित हो जायेंगे।

दिनांक–06.04.2023

(शिवेन्द्र शर्मा)
सिविल जज (क०श्रे०)/ त्वरित न्यायालय ।।/
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कौशाम्बी
I.D. No.– UP3792

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया किया गया।

दिनांक–06.04.2023

(शिवेन्द्र शर्मा)
सिविल जज (क०श्रे०)/ त्वरित न्यायालय ।।/
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कौशाम्बी
I.D. No.– UP3792

Digitally signed by Shivendra Sharma
Date: 2023.04.28 15:25:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court